न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–232/2020 (GCMS No. 2020/00236) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भरोसी पुत्र इन्दर आयु 51 साल जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी गांगुरदा तहसील व जिला करौली (राज.)।

.....अपीलांट

बनाम

1. गुड्डी पुत्री इन्दर पत्नी हरी आयु 41 साल जाति प्रजापत निवासी लौहर्रा तहसील व जिला करौली (राज.)।
2. ग्राम पंचायत गेंरई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गेंरई तहसील व जिला करौली (राज.)।
3. रामकेश पुत्र छोटे जाति प्रजापत आयु 27 साल निवासी गांगुरदा तहसील व जिला करौली (राज.)।
4. कम्पूरी वेवा इन्दर पत्नी छोटे जाति प्रजापत हाल निवासी गांगुरदा तहसील व जिला करौली (राज.)।

.....रेस्पोडेंटस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी करौली दिनांक 06.06.2016 मु.नं. 2/14 (62/10) उनवान गुड्डी बनाम सरपंच।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री राजेश सोगरवाल, वकील।
2. रेस्पोडेंटस सं. 1, 3 व 4 की ओर से श्री रूपेन्द्रसिंह वकील।

नि र्ण य

दिनांक : 21.02.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण दिनांक 06.06.2016 को तलवी रेस्पोडेन्ट में रहा और दिनांक 27.05.2016 से जनरल नोटिस से तारीख पेशी दिनांक 04.08.2016 को नियत की गई। प्रकरण दिनांक 06.06.2016 के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा शिविर में ग्राम पंचायत गेंरई में रखा गया जिसका अपीलांट भरोसी को कोई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। उक्त दिनांक को अपीलांट को नोटिस न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में विचाराधीन दावा 88, 188 आर.टी.ए. मु. नं. 64/10 का प्राप्त हुआ जिसमें अपीलांट न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में उपस्थित हुआ और प्रकरण में उभयपक्ष में राजीनामा नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के लम्बित रहते हुये अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 1, 3 व 4 की ओर से पैरवी हेतु श्री रूपेन्द्रसिंह अभिभाषक हाजिर अदालत आये तथा रेस्पो. संख्या 2 बावजूद सूचना/तामील अनुपस्थित रहे।
3. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील देते हुये कथन किया कि प्रकरण दिनांक 27.05.2016 को तलवी रेस्पोडेन्ट में रहा और दिनांक 27.05.2016 से जनरल नोटिस से तारीख पेशी दिनांक 04.08.2016 को नियत की गई। प्रकरण दिनांक 06.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा शिविर में ग्राम पंचायत गेंरई में रखा गया जिसका अपीलांट भरोसी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। उक्त दिनांक को अपीलांट को नोटिस न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में विचाराधीन दावा 88, 188 आर.टी.ए. मु. नं. 64/10 का प्राप्त हुआ जिसमें अपीलांट न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में उपस्थित हुआ और प्रकरण में उभयपक्ष में राजीनामा नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के लम्बित रहते हुये अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित कर दिया गया। नामांतरकरण की कार्यवाही में अधिकार तय नहीं होते हैं। प्रकरण अपील गुडडी बनाम ग्राम पंचायत दिनांक 06.06.2016 को लोक अदालत में राजीनामा के लिए रखा गया जबकि प्रकरण में तलवी के लिए तारीख पेशी दिनांक 27.05.2016 को जनरल नोटिस से 04.08.2016 दी गई। मूल नामांतरकरण तलव नहीं किया गया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इन्दर की दो पत्नियां थी और कम्पूरी दूसरी पत्नी है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. गुडडी ने नामांतरकरण संख्या 114 दिनांक 02.03.1986 के विरूद्व अपील पेश की जो मंजूर हुई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहॉ अपील नामांतरकरण से संबंधित विवाद भूमि का मूल वाद लम्बित हो वहां अपील नामांतरकरण समरी प्रोसीडिंगस की कार्यवाही मूल वाद के

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निर्णय तक स्थगित रखी जानी चाहिए क्योंकि पक्षकारों के हक हकूक मूल वाद में तय होते है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में न्यायिक नजीर 2019 आरआरडी पेज 236 पेश की।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दिये गये तर्कों का पुरजोर खण्डन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाते हुए दलील की कि निर्णय पारित करने के समय अधीनस्थ न्यायालय की दावा की प्रति पेश नहीं की गई। अपीलांट निर्धारित तिथि को जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। हम इन्दर के वारिस हैं। हमारे अधिकार ही तय होंगे। इन्दर ने रामकेश को रेस्पो. नं. 3 बना दिया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट व रेसपो संख्या 1, 3, 4 स्व. इन्दर के पुत्र/पुत्री/पत्नी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि दिनांक 27.05.2016 को प्रकरण तलवी में नियत था और आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.08.2016 थी। दिनांक 06.06.2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखा गया। लोक अदालत में वे ही प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जाते हैं जिनमें दोनों पक्षों की सहमति होती है। तामील से भी स्पष्ट है कि यह अपीलांट को न होकर अन्य व्यक्ति को हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित किया है और यहां न तो अपीलांट को विधिवत रूप से सूचित किया गया और न ही उसको अपील पर सुना गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिविरूद्व है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा उद्धत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2019 पेज 236 भी उनकी मददगार है। ऐसे में हम विद्वान वकील अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों के सारवान होने से उनसे सहमत हैं और मामला पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 06.06.2016 अपास्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि समस्त पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर एक माह में

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर